

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक:-

406

/ FP/UK/ROAD/37699/2018 दिनांक: देहरादून 7 अगस्त, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में आमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 17-03-2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 17-03-2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 190/12-1 दिनांक 28.07.2021 से प्राप्त आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/37699/2018 तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक 190/12-1 दिनांक 28.07.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)**



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05948-220003 ई.मेल : cfw-kum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 190 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, जुलाई, 28, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।

संदर्भ:- आपका ई0डी0एस0 दिनांक- 17.03.2021।

महोदय,

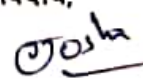
उपरोक्त मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 17.03.2021 द्वारा आपत्तियों लगायी गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा आपत्ति का निराकरण कर अपनी पत्र संख्या 174/12-1 दिनांक 23.07.2021 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जो कि निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	EDS	Reply
1	On perusal of the KML file of the proposed road, it is noticed that village at the end point is already connected with the road which has also been mentioned in the justification. State Government may submit the justification for requirement of additional connectivity in hill area.	ग्राम डोला, डोला न्याय पंचायत मार्ग के कि०मी० 4 से पूर्व में ही संयोजित है, किन्तु इस मार्ग के बन जाने से अमगढी व पाटकोट गांव के निवासियों को कोटाबाग ब्लॉक तक आने-जाने में रामनगर से होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रस्तावित मार्ग का उपयोग करने से लगभग 17.00 कि०मी० दूरी की बचत होगी।
2	Location of benefitted village, alternate road and muck dumping sites not marked in the KML file. State Government may mark the location of benefitted village, alternate road and muck dumping sites on KML file and upload the same at para C in Part I online.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लगान्वित ग्रामों को KML File में अंकित कर Part I के Para C में पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मार्ग का एक ही समरेखण चयनित किया गया है। अतः वैकल्पिक समरेखण की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे का निस्तारण नहीं किया जाना है।
3	Number of trees to be affected mentioned as nil. However the area seems dense. State Government may clarify whether any Jeep Road/LVR available there.	संयुक्त निरीक्षण के दौरान ऐसे समरेखण का चयन किया गया है, जिसमें वृक्षों की संख्या शून्य हों। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में मूल रूप में संलग्न है। जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्नक है तथा Part I additional information के क्रम सं० 70 में अपलोड कर दिया गया है।

0705

क्र.सं.	EDS	Reply
4	As per DSS analysis, 1.40 Hac. of CA is overlapping with the proposal no. FP/UK/ROAD/40832 /2019	इस प्रकरण में क्षतिपूर्त वृक्षारोपण योजना हेतु 3.33 हे० भूमि ग्राम तल्ला बगड, पट्टी बगड, ताहरील, जिला व नैनीताल के खाता संख्या 32, खसरा संख्या 148 के पक्ष कुल रकबा 7.039 हे० में से 3.330 हे० वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चुकी है। Overlapping के सम्बन्ध में सूचना जिलाधिकारी नैनीताल से चाही गयी थी, जिसके क्रम में उक्त जिलाधिकारी, नैनीताल की आख्या Part I additional information के क्रम सं० 71 में अपलोड कर दी गयी है।
5	Details of alternate alignment is not provided at Para D(ii)(a) in Part I which is required to be done.	मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम लम्बाई 3.40 कि०मी० होने एवं कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण केवल एक ही संरेखण पर विचार किया गया। जिस कारण वैकल्पिक संरेखण की आवश्यकता नहीं है, जो Para D(ii)(a) Part I में अंकित है।
6	State Government may submit the CA scheme mentioning the name of CA area.	CA Scheme प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है, जिसकी प्रति पुनः Part I additional information के क्रम सं० 72 में अपलोड कर दी गयी है।
7	Aerial distance of the proposed area from Naina Devi Conservation Reserve is 2.4 Km. State Government may submit the comments of DFO and CWLW in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से वांछित आख्या Part II, additional information के क्रम सं० 11 एवं 12 में अपलोड कर दी गयी है।
8	State Government may submit the work not start certificate duly authenticated by concerned DFO.	कार्य प्रारम्भ नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर से हस्ताक्षरित कर प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है, जिसकी प्रति पुनः Part I additional information के क्रम सं० 73 में अपलोड कर दी गयी है।
9	It has been mentioned that 17199 cum. Muck will be utilized out of 21420 cum but no plan submitted for disposal of remaining muck. State Government may submit clarification in this regard and submit the correct and complete muck disposal plan.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य के दौरान उत्सर्जित होने वाले मलुवे की मात्रा 21420 घ०मी० होगी एवं मार्ग में भरण व अन्य कार्य हेतु 22276.80 घ०मी० की आवश्यकता होगी, पूर्व में त्रुटिवश इसे 17199 घ०मी० दर्शित किया गया, जिसे संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 856.80 घ०मी० अतिरिक्त मलुवे की आवश्यकता होगी, जिस कारण मलुवा निस्तारण की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार गणना प्रपत्र Part I additional information के क्रम सं० 74 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

पत्रांक 190/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 174/12-1 दिनांक 23.07.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

Gosha
(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

7/



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com पूरणाग/फैरा नं० 05047-251362



पत्रांक:- 174 /12-1

दिनांक, रामनगर 23-1 .2021

सेवा में,

वन संरक्षण,
परिचाली गुता,
उत्तराखण्ड, हल्द्वारी।

विषय :- गा० भुखगंजी जी की घोषणा संख्या 03/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा-डोला हाईस्कूल लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।
(FP/UK/ROAD/37699/2018)

सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर की पत्र संख्या-283/ 23सी० दिनांक 30-06-2021 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार की पत्र सं० 8वी०/ यू०सी०पी०/ 06/29/2021/एफ.सी./2477 दिनांक 17.03.2021।

महोदय,

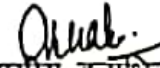
उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	On perusal of the KML file of the proposed road, it is noticed that village at the end point is already connected with the road which has also been mentioned in the justification for requirement of additional connectivity in hill area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम डोला, डोला न्याय पंचायत मार्ग के कि०मी० 4 से पूर्व में ही संयोजित है, किन्तु इस मार्ग के बन जाने से अगगदी व पाटकोट गांव के निवासियों को कोटाबाग ब्लॉक तक आने-जाने में रामनगर से होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रस्तावित मार्ग का उपयोग करने से लगभग 17.00 कि०मी० दूरी की बचत होगी।
2	Location of benefitted village, alternate road and muck dumping sites not marked in KML file. State Government may mark the location of benefitted village. Alternate road and muck dumping sites and upload the same at Para C in Part I online.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लगान्वित ग्रामों को KML File में अंकित कर Part I के Para C में पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मार्ग का एक ही समरेखण चयनित किया गया है। अतः वैकल्पिक समरेखण की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे का निरस्तारण नहीं किया जाना है।
3	Number of trees to be affected mentioned as nil. However the area seems dense. State Government may clarify whether any Jeep Road/LVR available there.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान ऐसे समरेखण का चयन किया गया है, जिसमें वृक्षों की संख्या शून्य हों। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है। जिसकी प्रति पुनः प्रेषित की जा रही है तथा additional information के क्रम सं० 70 में अपलोड कर दिया गया है।
4	As per DSS analysis, 1.40 Hac. of CA is overlapping with the proposal no. FP/UK/ROAD/40832/2019	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना हेतु 3.33 है० भूमि ग्राम तल्ला बगड़, पट्टी बगड़, तहसील, जिला व नैनीताल के खाता संख्या 32, खसरा संख्या 148 के मध्य कुल रकबा 7.039 है० में से 3.330 है० वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चुकी है। Overlapping के सम्बन्ध में सूचना जिलाधिकारी नैनीताल से चाही गयी थी, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, नैनीताल की आख्या additional information के क्रम सं० 71 में अपलोड कर दी गयी है।

	Details of alternate alignment is not provided at Para D(ii)(a) in Part I which is required to be done.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम लम्बाई 3.40 कि०मी० होने एवं कोई वृद्ध प्रमाणित न होने के कारण केवल एक ही संरेखण पर विचार किया गया। जिस कारण वैकल्पिक संरेखण की आवश्यकता नहीं है, जो Para D(ii)(a) Part I में अंकित है।
6	State Government may submit the CA scheme mentioning the name of CA area.	CA Scheme प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है, जिसकी प्रति पुनः additional information के क्रम सं० 72 में अपलोड कर दी गयी है।
7	Aerial distance of the proposed area from Naina Devi Conservation Reserve is 2.4 Km. State Government may submit the comments of DFO and CWLW in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी तथा मुख्य मन्त्रीय प्रतिपालक से याचिका आख्या Part II, additional information के क्रम सं० 11 एवं 12 में अपलोड कर दी गयी है।
8	State Government may submit the work not start certificate duly authenticated by concerned DFO.	कार्य प्रारम्भ नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर से हस्ताक्षरित कर प्रस्ताव में मूल रूप में ही संलग्न है, जिसकी प्रति पुनः additional information के क्रम सं० 73 में अपलोड कर दी गयी है।
9	It has been mentioned that 17199 cum. Muck will be utilized out of 21420 cum but no plan submitted for disposal of remaining muck. State Government may submit clarification in this regard and submit the correct and complete muck disposal plan.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य के दौरान उत्सर्जित होने वाले मलुवे की मात्रा 21420 घ०मी० होगी एवं मार्ग में भरण व अन्य कार्य हेतु 22276.80 घ०मी० की आवश्यकता होगी, पूर्व में वृटिवश इसे 17199 घ०मी० दर्शित किया गया, जिसे संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 856.80 घ०मी० अतिरिक्त मलुवे की आवश्यकता होगी, जिस कारण मलुवा निस्तारण की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार गणना प्रपत्र additional information के क्रम सं० 74 में अपलोड कर दिया गया है।

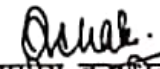
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक : 174 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

क्षतिपूर्क मृदाशोधन योजना
 की नाम- जगपद नैनीताल के अन्तर्गत अगोवा रो सोला हाईवेमूल तथा रिक मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूर्क मृदाशोधन हेतु कुल 3.330
 एक मृदाशोधन योजना (भाग प्रभाग सावना, मट्टी मगस, सारसील व जिला नैनीताल खाता र/0 32 खसरा नं 0 148)
 नैनीताल क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

क्र.सं.	कार्य का विवरण	र/0	मृदा गीहर में			कार्य की मात्रा	ईकाई	दर	प्रत्येक
			गो	मी	मी				
1	सर्वे व सीमांकन कार्य।	-	-	-	-	3.110	र/0	113.00	376.29
2	क्षेत्र में साफगाई व झाड़ी कटाव कार्य।	-	-	-	-	3.110	र/0	681.00	2267.73
3	अधिम दीवार बन्दी भौतिक।	-	-	-	-	3.110	र/0	31264.00	110769.12
4	अधिम मृदा कवच।	1	0.45	0.45	0.45	3.110	र/0	14400.00	47952
5	निरीक्षण बरिमा बनाया।	-	-	-	-	3.110	र/0	565.00	1881.45
6	धूम्र की उर्वरक प्रयोग वर्ष।	-	-	-	-	3.110	र/0	13504.00	44968.32
7	अन्य व्यय।	-	-	-	-	3.110	र/0	960.00	3196.8
8	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	15000.00	49950
	कुल योग प्रथम चरण								261361.71
1.	मरुत प्रदान कार्य।	-	0.45	0.45	0.45	3.330	र/0	3200.00	10656.00
2.	पीप की कीमत द्वितीय वर्ष।	-	-	-	-	3.330	र/0	5376.00	17902.08
3.	पीप व कुतान कार्य। (75 प्रतिशत पैग तथा 25 प्रतिशत जल)	-	-	-	-	3.330	र/0	15360.00	51148.80
4.	पीप रोपण तथा पावताबन्दी कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	3920.00	13053.60
5.	निरीक्षण पट्टा तथा मलिन्य कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	3200.00	10656.00
6.	संसाधनिक जाय व दवा।	-	-	-	-	3.330	र/0	384.00	1278.72
7.	दखरख व रख-रखाव कार्य वर्ष में 8 माह।	-	-	-	-	3.330	र/0	5550.00	18481.5
8.	मृदाशोधन क्षेत्र अन्तर्गत सूख घास फूस जलाना आदि।	-	-	-	-	3.330	र/0	450.00	1498.50
9.	सुखा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना।	-	-	-	-	3.330	र/0	320.00	1065.60
10.	मलिन्य व्यय/प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	3.330	र/0	1360.00	4528.80
11.	अन्य व्यय।	-	-	-	-	3.330	र/0	1800.00	5994.00
	कुल योग द्वितीय चरण								136263.60
	तृतीय चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	चतुर्थ चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	पंचम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	कुल योग (तृतीय से पंचम चरण)								92657.25
	षष्ठम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	सप्तम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	अष्टम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	नवम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	दशम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	र/0	9275.00	30885.75
	दर्शनकारण क्षत्री में अवरोधक निर्माण।	-	-	-	-	17.000		18000.00	306000.00
	कुल योग								460428.75
	महायोग क्षतिपूर्क मृदाशोधन							or say	950711.31
									950000.00

Ghand
 क्षेत्र विकास अधिकारी
 नैनीताल वन क्षेत्र राजि
 नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रमाणित
 नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

परियोजना का नाम :- गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से खोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नया निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र

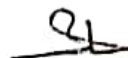
प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आनेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से गन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



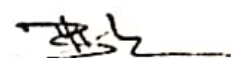
अमीन
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)



अमीर सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)



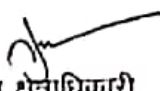
(इ० आर० सी० पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)



(इ० भीमा गढ़ट)
अधिसारी अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)



राम नारायण
(रामनगर)
रामनगर जन प्रभाग, रामनगर



जन क्षेत्राधिकारी



प्रभागीय कार्याधिकारी
रामनगर जन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नाम :- गा0 मुख्यमन्त्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से झोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित ना होने की दृष्टि में प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वृक्ष प्रभावित नहीं रहे हैं।

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रमाणित प्रमाणित
नैनीताल जिला वन विभाग
नैनीताल

प्रमाणीय वनाधिकारी
नैनीताल जिला वन विभाग
नैनीताल

(४)
कार्यालय संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र सं०-४३४/आर०ए०/२०२१

दिनांक १७ जून, २०२१

Sl. No. 1853
File No. 23C
Date 26-6-2021

विषय- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या ९३/ २०१५ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अनाटा रा नोला हाईस्कूल तक लिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु १.६६५ है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, धुमाकोट को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

**अधिशारी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रामनगर, (नैनीताल)।**

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या ६२०/२३सी. दिनांक ०१.०६.२०२१ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या ९३/ २०१५ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अनाटा रा नोला हाईस्कूल तक लिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु १.६६५ है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, धुमाकोट को प्रत्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या ४वी./यू.सी.पी./०६/२९/२०२१/एफ.सी./२४७१ दिनांक १७.०३.२०२१ में उल्लेखित हिन्दु संख्या ०४ में सी.ए. लेण्ड अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित दिखाया गया है. कि स्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में है। जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसीलदार नैनीताल को जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार नैनीताल द्वारा अपने पत्र कार्यालय के पत्र संख्या ४०१/र.का./२०२१ दिनांक १४ जून, २०२१ से इस कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः तहसीलदार नैनीताल द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या मूल में संलग्न कर आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महानक = उपरोक्त।


(प्रतीक स्थिति).

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

**संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।**
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२६/६/२१

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
नैनीताल।

विषय -

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माओ पुष्पगंजी जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत विभागसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोटा से डोला तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 18.02.2021 को वन विभाग की गैर मानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग पुष्पगंजी को प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

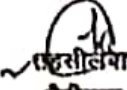
कार्यालय अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर नैनीताल के पत्र संख्या 620/23सी दिनांक 01.06.2021 के अनुपालन में जांच आख्या राजस्व उपनिरीक्षक बगड से ली गयी, उनके द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि संदर्भित पत्र में वर्णित विन्दु 04 में सी0ए0 लेन्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित दिखाया गया है में अवगत कराना है कि:-

1- ग्राम बगड तल्ला पट्टी बगड तहसील व जिला नैनीताल के नॉन0 ज्येड0ए0 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 148 मध्ये 2.565 हे. भूमि पतलिया से जस्यूडा तक लिंक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 195/बारह-10/ज्येड0ए0सी0/2019 दिनांक 01 फरवरी 2020 के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की गयी है।

2- बगड तल्ला के ही उपरोक्त नॉन0 ज्येड0ए0 खाता व खसरा मध्ये 3.330 हे. भूमि अमोटा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्र संख्या 268/12-ज्येड0ए0सी0/2020 दिनांक 29.09.2020 के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

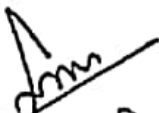
उक्त खसरा नम्बर 148 का कुल रकबा 7.039 हे. है, जिसमें से उपरोक्त दोनो मोटर मार्ग हेतु 2.565 हे. एवं 3.330 हे. कुल रकबा 5.895 हे. भूमि उक्त खसरा नम्बर में से वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर मध्ये 1.144 हे. भूमि शेष है। जबकि पूर्व में जनपद नैनीताल में ग्राम जेना से चन्द्रकोट घूरा तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बगड तल्ला के नॉन0 ज्येड0ए0 खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 148 मध्ये 3.258 हे. भूमि चयनित कर उक्त भूमि का प्रस्ताव माग अनिलेश्वर के वर्ष 2017 में तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रेषित किया गया था। सम्बन्धित विभागों द्वारा समुक्त निरीक्षण उपरान्त उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, जिसमें पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय भारत सरकार देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 8वी/यू0सी0पी0/06/2020/एफ0सी0/1295 दिनांक 18.09.2020 द्वारा सैवानिक रदीकृति प्रदान की गयी थी। आदेश प्राप्त होने से पूर्व ही ग्राम बगड तल्ला के नॉन0 ज्येड0ए0 खसरा नम्बर 148 मध्ये पतलिया (बलना) से जोरयूडा एवं अमोटा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.895 हे. भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थी। तत्पश्चात जेना से चन्द्रकोट घूरा तक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.258 हे. भूमि खसरा नम्बर 148 मध्ये शेष 1.144 हे. कम होने व अनउपयुक्त होने के कारण उक्त ग्राम बगड तल्ला के नॉन0 ज्येड0ए0 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 4.327 हे. मध्ये भूमि कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 323/12-ज्येड0ए0सी0/2020-21 दिनांक 18 फरवरी 2021 के क्रम में तहसील नैनीताल के आदेश 18.02.2021 को वन विभाग के नियंत्रण में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

आतः राजस्व उपनिरीक्षक बगड की जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

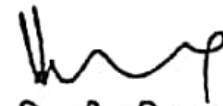

तहसीलदार,
नैनीताल।

मक डम्पिंग प्लान/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत अगोटा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का निर्माण किया जाना है। निर्माण के समय उत्सर्जित मलबे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु आंशिक भाग में पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है जिससे उत्सर्जित मलबे की मात्रा 21420.00 घन मी० होगी एवं मार्ग की कुल लम्बाई में फिलिंग व अन्य निर्माण कार्य हेतु 22276.80 घन मी० मलबे की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उत्सर्जित मलबे से 856.80 घन मी० अतिरिक्त मलबे की आवश्यकता होगी। अतः मलुवा निस्तारण की कोई आवश्यकता नहीं है।


अपर सहायक अभियन्ता,
नि०ख०, लो०नि०वि०
रामनगर

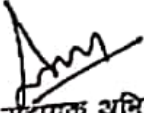

सहायक अभियन्ता,
नि०ख०, लो०नि०वि०
रामनगर

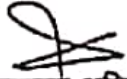

अधिरात्री अभियन्ता,
नि०ख०, लो०नि०वि०
रामनगर

- परियोजना का नाम :- गा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1580/2016 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अगोता से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

Summary of Results

- 1- The Material received from hill side cutting is 21420.00 Cum.
- 2- The use of received muck in various items is 22276.80 Cum.
- 3- The remaining muck for dumping is (-) 856.80 Cum..
- 4- The Required muck for filling is 0.00 Cum.
- 5- Numbers of sites needed for the dumping of muck (0 number).


अ0 सहायक अभियन्ता,
नि0ख0, लो0नि0वि0 रामनगर


सहायक अभियन्ता,
नि0ख0, लो0नि0वि0 रामनगर


अधिरासी अभियन्ता,
नि0ख0, लो0नि0वि0 रामनगर

पृष्ठ-30.4

Estimate for Muck Disposal

परियोजना का नाम :- मा0 पुष्पगंजी घोषणा सं0 1560/2015 के अन्तर्गत जगमग नदीतट के विमानतट क्षेत्र
 मैनीताल मे अमोठा से डोला हाईस्कूल तक सिक मार्ग का नव निर्माण।

For Km. 1 to Km. 3.400 km

(A) Cutting in km 1 (Ch. 0.000 to 1.000)	1x1/2	1000.00	6.00	1.50	4500.00	cum
Cutting in km 2 (Ch. 1.000 to 2.000)	1x1/2	1000.00	6.00	1.50	4500.00	cum
Cutting in km 3 (Ch. 2.000 to 3.000)	1x1/2	1000.00	6.00	1.50	4500.00	cum
Cutting in km 4 (Ch. 3.000 to 3.400)	1x1/2	400.00	6.00	1.50	1800.00	cum
Total					15300.00	cum
					6120.00	cum
Total					21420.00	cum

Swelling Factor @ 40%

(B) Muck required for Construction Work						
1) Retaining Walls	3.40	250.00	(2.00+0.60)/2	4.00	4420.00	cum
2) Breast Walls	3.40	320.00	(0.90+0.60)/2	1.80	1468.80	cum
3) Construction of Scupper	3.40X3	57.09			582.32	cum
Total solid					6471.12	cum
Total					6471.12	cum
4) HP Stone Filling for R/W	1x3.40x1/2	250.00	1.00	4.00	1700.00	cum
5) Making Subgrade	1x1	3400.00	5.95	0.45	9103.50	cum
6) Making superelevation	3.40X8	25.00	5.95	0.30	1213.80	cum
7) Stacking for Patti/Rut Filling	1x2	3400.00	1.00	0.25	1700.00	cum
Total					20188.42	cum
SAY					20188.00	cum
					94.25	%
					10.00	%
					104.25	%
					104.00	%
					-4.00	%
Balance Quantity for Required disposal						
Quantity In Cum					-856.80	cum

Note - As the Quantity is negative above to road work in embankment. So No Muck Disposal site are required.


 अ० सहायक अभियन्ता,
 नि०ख०, लो०नि०वि०
 रामनगर


 सहायक अभियन्ता,
 नि०ख०, लो०नि०वि०
 रामनगर


 अधिकारी अभियन्ता,
 नि०ख०, लो०नि०वि०
 रामनगर